तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर

दिनांक:-24.01.2023

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत बी0ए0/बी0एससी0/बी0 कॉम0 प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा, कक्षोन्नति एवं बैक पेपर/श्रेणी सुधार परीक्षा सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश-

1. प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा (कौशल विकास पाठ्यक्रम को छोड़कर) दो भागों में विभाजित होगी- **सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व सेमेस्टर परीक्षा।**
2. सतत् आन्तरिक मूल्यांकन के तीन घटक होगें– मिड टर्म/सेशनल टेस्ट, उपस्थिति व असाइनमेंट लेखन। यह मूल्यांकन 25 अंको के सापेक्ष होगा।
3. सेमेस्टर/मुख्य परीक्षा 75 अंकों के सापेक्ष होगी, और यह परीक्षा बहुविकल्पीय न होकर वर्णनात्मक होगी। केवल अनिवार्य को-करिकुलर विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय होगी।
4. मुख्य परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न-पत्र तीन खण्डों में विभाजित होंगे- खण्ड-अ (Section-A), खण्ड-ब (Section-B), तथा खण्ड-स (Section-C)।

4.i) खण्ड-अ (Section-A) में 10 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे। प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देने होंगे। इस खण्ड के प्रश्न सम्बन्धित विषय/प्रश्न-पत्र के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम से पूछे जायेंगे।

4.ii) खण्ड-ब (Section-B) में 8 प्रश्न मुद्रित होंगे, जिनमें से मात्र 05 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 07 अंक निर्धारित होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देने होंगे।

4.iii) खण्ड-स (Section-C) में 04 प्रश्न मुद्रित होंगे, जिनमें से मात्र 02 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे; प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित होंगे तथा प्रत्येक के उत्तर अधिकतम 500 शब्दों में देने होंगे।

अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के दिनांक 20 अप्रैल 2022 के पत्र एवं वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर द्वारा दिनांक 29 अप्रैल 2022 को प्राचार्यों को सम्प्रेषित प्रतिलिपि के क्रम में उत्तीर्ण प्रतिशत, कक्षोन्नति एवं बैक पेपर/श्रेणी सुधार परीक्षा सम्बन्धित दिशा-निर्देश :

उत्तीर्ण प्रतिशत

1. Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ दिया जायेगा।

2. सभी मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल) Credit course हैं, तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।

3. सभी छः सह-पाठ्यक्रम विषय कोर्स (Co-curricular courses) Qualifying प्रकृति के हैं, तथा इनके उत्तीर्णांक 40% होगें।

4. चार कौशल विकास पाठ्यक्रम (Skill Development/Vocational courses) भी Credit course हैं, तथा इनके उत्तीर्णांक भी 40% ही होगें। शासनादेश संख्या 2058/सत्तर-3-2021-08(33)-2020 टी.सी. दिनांक 26 अगस्त 2021 में प्रदान की गई व्यवस्था के अनुक्रम में कौशल विकास/रोजगार परक कोर्स/पेपर का मूल्यांकन कुल पूर्णांक 100 में होगा, जिनमें से प्रशिक्षण/ट्रेनिंग/प्रैक्टिकल आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों के साक्षेप तथा सैद्धांतिक (Theory) आधारित कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों के सापेक्ष होगा। कौशल विकास कोर्स/पेपर में कुल पूर्णांक 100 में से न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 अंक होंगे। प्रशिक्षण/ट्रेनिंग एवं सैद्धांतिक (Theory) में अलग-अलग कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नही होंगे।

5. सभी विषयों के मुख्य/माइनर व सह-पाठ्यक्रम के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

6. मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंको में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे, तथा (ब) आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

7. सह-पाठ्यक्रम विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।

8. किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नही है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व वाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक

33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 सह-पाठ्यक्रम विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा; आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेगें।

9. किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace marks) नही दिये जायेगें।

कक्षोन्नति (Promotion)-

1. विद्यार्थी को वर्तमान विषम (Odd) सेमेस्टर से अगले सम (Even) सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो।

2. वर्तमान सम-सेमेस्टर से अगले विषम सेमेस्टर अर्थात वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तो के साथ दी जायेगी :-

(अ) विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (required) क्रेडिट्स का न्यूनतम 50% क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों तथा (ब) विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर) के Major विषयों (तीनों मुख्य विषय प्रथम व द्वितीय वर्ष) के सभी पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) के कुल क्रेडिट्स का न्यूनतम 50% के पेपर्स उत्तीर्ण कर लिए हों। 50% क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नही गिने जाएंगे, जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

3. द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में प्रोन्नति के लिए प्रथम वर्ष के आवश्यक (required) 46 क्रेडिट्स के सभी (मुख्य/माइनर/स्किल इत्यादि) पेपर्स तथा Qualifying (सह-पाठ्यक्रम) पेपर्स को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा

1. आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा नही होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय परीक्षा के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है। किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की सम्पूर्ण परीक्षाएं एक साथ नही दे सकता।

2. विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

3. विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।

4. विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा काल बाधित न होने तक, चाहे कितनी भी बार दे सकता है। किन्तु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।

सभी छात्रों से उपरोक्त दिशा-निर्देशों से अवगत होने की अपेक्षा की जाती है। सभी सम्मानित संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों व विषयाध्यापकों से अपेक्षा है कि वे अपने स्तर से भी विद्यार्थियों को उक्त सूचना से अवगत कराएं।

24/01/2023

प्रो० ज्ञानेन्द्र धर दूबे
सदस्य
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, क्रियान्वयन समिति

24/1/23

प्रो० (डॉ०) आलोक कुमार सिंह
प्राचार्य
तिलकधारी महाविद्यालय, जौनपुर